न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 29/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/74

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
शेषाराम पुत्र करणाराम जाति मारू कुम्हार निवासी टवालीखुर्द तहसील पाली जिला पाली		1. ग्राम पंचायत टेवाली जरिये सरपंच तहसील पाली जिला पाली 2. मृतक मोटाराम पुत्र करणाराम के विधिक वासिान 2/1 वोराराम पुत्र मोटाराम 2/2 वागाराम पुत्र मोटाराम 2/3 चुन्नीलाल पुत्र मोटाराम 2/4 मोहनलाल पुत्र मोटाराम 2/5 पकाराम पुत्र मोटाराम 2/6 संतोष पुत्री मोटाराम जतिगण मारू कुम्हार निवासी टेवाली खुर्द, तहसील पाली जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/5 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत।

–: निर्णय :–

दिनांक : 25/08/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत टेवाली द्वारा मिसल संख्या 4/66, प्रस्ताव संख्या 03 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा सख्या 05 दिनांक 14.07.1966 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2/6 बावजुद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में भीकाराम मारू कुम्हार से बाडे के रूप में 600 रूपये में खरीद की थी और उनके जीवनकाल में ही बाडे के दो बंट किये, जिसमें से एक हिस्सा प्रार्थी एवं एक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 मृतक मोटाराम पुत्र करणाराम को दिया और तब से मौके पर अलग अलग बंटवाड़ा किया हुआ है। भीकाराम के पुत्र धीराराम एवं नेमाराम पुत्र धन्ना ने शपथ पत्र पेश कर जैर आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी का आधा–आधा हिस्सा होने के कथन किये है। निगरानी म्याद बाहर नहीं है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत से मिलकर सम्पूर्ण आराजी का अकेले के पक्ष में जैर निगरानी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पट्टा जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत ने बिना कोई प्रक्रिया अपनाये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/5 ने अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि मोटाराम ने जैर आराजी रूपये 266/– स्वयं की आय से खरीदी थी, जो कि पुश्तैनी नहीं है। प्रार्थी ने जैर आराजी की खरीद का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इसके अतिरिक्त जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1966 में जारी किया गया है और प्रार्थी ने जैर निगरानी 51 वर्ष पश्चात पेश की है, जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत ने विधिनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो उचित है। इसलिये प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत टेवाली द्वारा मिसल संख्या 4/66, प्रस्ताव संख्या 03 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा सख्या 05 दिनांक 14.07.1966 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र रह रहा कि प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका 51 वर्ष के विलम्ब के बाद पेश की, जो म्याद बाहर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने उपरोक्त उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. इसी प्रकार 2018(2)DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों को प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते है। साथ ही में विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि 51 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है तथा मोटाराम ने सम्पूर्ण पुश्तैनी आराजी का अकेले के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। विपक्षी अधिवक्ता अधिवक्ता प्रार्थी के उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जैर आराजी केवल मोटाराम ने ही खरीद की थी, जो उसकी स्वयं की आय से खरीद की हुई थी, जो पुश्तैनी भूमि नहीं थी। इस सम्बन्ध में पत्रावली उपलब्ध धीराराम पुत्र भीखाराम एवं नेमाराम पुत्र धन्ना के शपथ–पत्र दिनांक 20.01.2020 के अनुसार जैर आराजी भीकाराम ने प्रार्थी एवं पट्टाधारक मोटाराम को 600 रूपये में बेची थी और मौके पर कब्जा दोनों को अलग अलग बंट माफिक है और अगर मोटाराम ने पूरी जमीन का पट्टा बनाया है तो वह गलत है। मौके पर दोनो भाई अलग अलग दो टुकडों पर काबिज है जो बाडे के रूप में काम आती है। दो स्वतंत्र व्यक्तियों के शपथ पत्रों से यह जाहिर है कि जैर आराजी पर दोनों का कब्जा है और मौके पर दोनों काबिज है, जिससे यह प्रकट होता है कि जैर आराजी दोनों के कब्जे में थी, जिसका केवल एक व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी करना विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। यदि भूमि पर दो या अधिक व्यक्तियों का समान अधिकार या कब्जा हो, तो सभी पक्षकारों को सुनकर विधिनुसार पट्टा जारी करना चाहिए। जब दो भाईयों का भूमि पर बराबर कब्जा या मालिकाना हक होता है, तो दोनों का भी उतना ही अधिकार होता है। किसी एक को सम्पूर्ण भूमि का पट्टा देना कानूनी तौर पर अनुचित और असंवैधानिक है। इस तरह से पट्टे जारी करना न केवल पंचायतीराज नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह समान अधिकारों का भी हनन है। पंचायतीराज का मूल उद्देश्य स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता, न्याय और सभी पक्षों को समान अधिकार देना है, नियमों का उल्लंघन करके एक पक्ष को पट्टा देना इसके सिद्धान्त के खिलाफ है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जिस प्रस्ताव की पालना में जारी किया गया है उस प्रस्ताव में जैर निगरानी पट्टे का अंकन ही नहीं है। विपक्षी अधिवक्ता ने अधिवक्ता प्रार्थी के उपरोक्त उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रावधानों के अनुरूप जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 29.03.1966 प्रस्ताव संख्या 3 में जैर निगरानी पट्टे पर अंकित मिसल संख्या 4/1966–1967 का अंकन ही नहीं है और न ही पट्टाधारक का नाम अंकित है अर्थात् जैर निगरानी पट्टे में जिस प्रस्ताव का अंकन है उस प्रस्ताव को प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित कोई मिसल ही प्रस्तुत नहीं हुई। इसका मतलब है कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टे का बिना कोई प्रस्ताव लिये, बिना किसी कोरम के जारी किया है, यानि पट्टा नियमविरूद्ध तरीके से जारी किया गया। किसी पट्टे को जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत की विधिवत बैठक, प्रस्ताव की स्वीकृति और पारदर्शिता जरूरी है, बिना प्रस्ताव पट्टा जारी करना अवैध कार्य है।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा रेकर्ड के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र दिनांक 15.05.19 के अनुसार मिसल ग्राम पंचायत में नहीं है और आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि प्रश्नगत पट्टा जिस संकल्प की पालना में जारी किया गया उस प्रस्ताव में भी जैर निगरानी पट्टे का कोई जिक्र नहीं है। इस स्थिति में यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना मिसल कायम किये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो Ab Initio Void है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458 Dhanraj and Anr. vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट की है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगे गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियां भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ–अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इसी प्रकार 1996 DNJ (Raj.) 413 Mahaveer Prasad vs State of Rajasthan & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत (साधारण) नियम, 1961–नियम 256 व 260–पंचायत द्वारा भूमि का विक्रय–प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी–अपर कलेक्टर ने पट्टा और विक्रय की सारी कार्यवाही को रद्द कर दी–पंचायत का प्रस्ताव रजिस्टर में नहीं लिखा है–भूमि के विक्रय हेतु कोई लोक सूचना जारी नहीं हुई–अभिनिर्धारित, रिट याचिका गुणागुणहीन होने से खारिज की जाती है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टे की मिसल कायम नहीं की गयी जिससे यह साबित है कि उक्त पट्टा जारी करने के दौरान राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम में विहित प्रावधानों की पालना नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. इसी प्रकार RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी यांचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत टेवाली द्वारा मिसल संख्या 4/66, प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 29.06.1966 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा सख्या 05 दिनांक 14.07.1966 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति एवं ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत टेवाली को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 25/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली